In the court of Sri Sudesh Kr. Srivastava, District and Additional Sessions Judge, III, Buxar

A.B.P. no. - 219/2026
Dhanu Yadav Vs State

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बक्सर।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 219/ 2026

धनु यादव

बनाम्

बिहार सरकार

अभियुक्त के तरफ से – श्री जर्नादन राय, (विद्वान अधिवक्ता)
अभियोजन के तरफ से – श्री केदार नाथ तिवारी, (विद्वान लोक अभियोजक)

13.03.2026 आवेदक/अभियुक्त 1. धनु यादव उम्र 28 वर्ष पिता– छोटे लाल यादव की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन परिवाद संख्या 427सी/2023 अंतर्गत धारा 323, 498ए भा0द0वि0 एवं धारा 3/4 डी0पी0एक्ट को परिचालित किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन की एक प्रति लोक अभियोजक को प्राप्त करायी जा चुकी है। इस आवेदन पर आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान् लोक अभियोजक को सुना।

2. परिवाद पत्र के अनुसार परिवाद कहानी संक्षेप में यह है कि दिनांक 25.06.2018 को आवेदक की शादी परिवादिनी से हुई जिसमें परिवादिनी के पिता ने पांच लाख रूपये तथा अन्य उपहार दिये। बिदा होकर ससुराल जाने के बाद सभी अभियुक्त एक राय होकर परिवादिनी से दहेज में दो लाख रूपये, एक जर्सी गाय और सोने की सिकड़ी की मांग करने लगे जिसको लेकर उसके साथ गाली–गलौज व मारपीट व तरह–तरह की प्रताड़ना करने लगे। अभियुक्तों के अत्याचार की सूचना परिवादिनी के पिता को पहुंची तो मानिंद लोगों को जुटाकर उन्हें समझाने का प्रयास किया गया मगर उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दिनांक 25.11.2018 को परिवादिनी को मारपीट कर घर से भगा दिये। तब परिवादिनी के पिता ने पंचायत बुलाई जिसपर दिनांक 04.10.2019 को अभियुक्त परिवादिनी को अपने साथ एक बौंड पेपर पर अच्छी तरह से रखने का वायदा कर ले गया मगर अपने घर ले जाकर फिर उसी तरह दहेज की मांग में सभी अभियुक्त उसके साथ मारपीट करने लगे और महज एक सप्ताह में ही पुनः परिवादिनी को मारपीट कर घ ार से भगा दिये। इसके बाद रिश्तेदारों के सुलह प्रयास पर अभियुक्त चेन्नई ले जाने का वायदा किया मगर आजतक परिवादिनी को नहीं ले गये कोई खर्च नहीं दिये रिश्तेदारों एवं अन्य लोगों के समझाने के बावजूद बिदाई नहीं करा रहे है। अभियुक्त परिवादिनी का सारा सामान और सारा गहना भी रख लिये है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि, आवेदक/अभियुक्त का इससे पूर्व कोई भी जमानत आवेदन या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में न माननीय उच्च न्यायालय पटना में न कही दाखिल किया है न कहीं लंबित है। आवेदक निर्दोष है तथा जान बूझकर झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। परिवादिनी स्वेच्छा से अपने मायके चली गयी एवं बार–बार के प्रयास के बावजूद भी अपने ससुराल नहीं आ रही है। आवेदक परिवादिनी को पत्नी के रूप में ससम्मान रखने को आज भी तैयार है। आवेदक कभी भी अपने ससुराल पक्ष से दहेज की मांग नहीं किया है न ही परिवादिनी को दहेज के लिए प्रताड़ित ही किया है। इसलिए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाये।

A.B.P. no. - 219/2026
Dhanu Yadav Vs State

4. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया है तथा कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। इसलिए अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

5. उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त परिवादिनी का पति है। वाद पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। आवेदक के विरूद्ध आरोपित धाराओं में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है। आज न्यायालय में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए जिन्होंने आवेदक द्वारा परिवादिनी को ससम्मान रखने की बात स्वीकार किये है तथा वाद विचारण में पूर्ण सहयोग करने की बात बताये है। आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है।

उक्त तथ्यों विवेचना तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त धनु यादव को आदेश प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर आत्मसमर्पण/गिरफतारी की स्थिति में अग्रिम जमानत आवेदन 10000 (दस हजार) X 2 बंध पत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू (जिसमें एक जमानतदार आवेदक का निकट संबंधी होंगे) दाखिल करने पर स्वीकृत किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 का अंडरटेंकिग देंगे एवं विचारण में सहयोग करेंगे।

(लेखापित व शुद्धिकृत)

(सुदेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, बक्सर।
दिनांक–13.03.2026

आदेश की तिथि	13/03/2026
आदेश में नियत किये जाने की तिथि	13/03/2026
अपलोडिंग की तिथि	16/03/2026
अपलोडेड द्वारा	Rahul Singh (Steno)